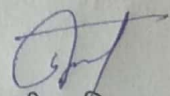


विभिन्न विकल्पों पर किए गए अध्ययन की विश्लेषण की रिपोर्ट

अमृत पेयजल योजना चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत किले पर बसी हुई आबादी एवं पर्यटकों को डिजाईन वर्ष के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घोंसुण्डा बांध के पानी को फिल्टर करके देना प्रस्तावित है। इसके लिए पाइनपोल स्थित पम्प हाउस से किले पर प्रस्तावित ग्राउन्ड लेवल सर्विस रिजरवॉयर में 200 एम.एम. डी.आई. पाइप लाईन के जरिये पानी पहुंचाना प्रस्तावित है। इस पाइप लाईन को डालने के लिए फोरेस्ट लैंड को क्राँस करना आवश्यक है, जिसके लिए प्रस्तावित रूट ही सबसे ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि किसी अन्य रूट से पाइप लाईन डालने पर फोरेस्ट लैंड काफी अधिक आएगी। प्रस्तावित रूट में सबसे कम मात्रा में (160 मीटर पाइप लाईन/0.016 हैक्टेयर) फोरेस्ट लैंड के डाईवर्जन की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा किले पर बसी आबादी एवं पर्यटकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए और कोई विकल्प सफल नहीं है तथा इस प्रस्तावित पेयजल प्रणाली (प्रस्ताव) की राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिसमें किसी भी तरह का फेरबदल संभव नहीं है।

किले की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मात्र एक ही विकल्प है कि घोंसुण्डा बांध का पानी (सरफेस वाटर) को फिल्टर करके देना, जिसके लिए फोरेस्ट लैंड को क्राँस करना आवश्यक ही रहेगा, क्योंकि किले के चारों ओर फोरेस्ट लैंड है और प्रस्तावित रूट के अलावा किसी अन्य रूट को फोलो करने पर फोरेस्ट लैंड प्रस्तावित रूट से ज्यादा ही क्राँस करनी होगी।

चूंकि पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग काफी महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है, जहां पर पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ रखना अति आवश्यक है। इसके लिए प्रस्तावित कार्य का क्रियान्वयन अति आवश्यक है तथा प्रस्तावित रूट ही अति सुसंगत रूट है।


अधिशायी अभियन्ता
जन स्वा0 अभि0 विभाग,
खण्ड, चित्तौड़गढ़